# राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ॰एस॰ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141–2700356 E-Mail:- rajssa_civil@yahoo.co.in फैक्स नः 0141–2708487

क्रमांक : F-5(6)(114)/RCEE/CIVIL/CSR/2017-18/ 3156 दिनांक : 22/6/17

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
जिला–समस्त

**विषयः– राजकीय विद्यालयों में भामाशाह सहयोग के माध्यम से मूलभूत भौतिक सुविधाऐं उपलब्ध कराने के क्रम में**

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको विदित है कि भारत सरकार के वित्तीय संसाधनों की सीमितता एवं सिविल/इन्फ्रा कार्यो को भारत सरकार द्वारा अंतिम प्राथमिकता प्रदान करने के कारण पिछले कई वर्षो से राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सिविल/निर्माण कार्यो बाबत् मांग की तुलना में काफी नगण्य बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस कारण सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत भौतिक सुविधाऐं सुनिश्चित करने बाबत् कई वर्षो का समय लगेगा।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत भौतिक सुविधाओं की सुनिश्चिता बाबत् वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों को तलाश कर उनका अधिकतम उपयोग किया जावे। इस कड़ी में भामाशाह/गैर सरकारी संगठन/अन्य संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त कर राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण, कक्षा–कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, किचनशेड, चारदीवारी, पेयजल सुविधा, विद्युतीकरण, पौधा–रोपण, खेल मैदान विकास, फर्नीचर इत्यादि के कार्य कराये जावे।

भामाशाह/गैर सरकारी संगठन/अन्य संस्थाओं से प्रभावी रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने बाबत् जिला एवं ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति, जिला/ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, जिला परिषद्/पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठकों, क्षेत्रीय सांसद/जिला प्रमुख/विधायक/प्रधान महोदय एवं अन्य जनप्रतिनिधियों तथा अन्य प्रमुख संस्थाओं यथा रोटरी इन्टरनेशनल, सी.आई.आई., फिक्की इत्यादि की जिला स्तरीय ईकाइयों से नियमित चर्चा करें।

विद्यालय भवन निर्माण बाबत् खुले में संचालित विद्यालयों के भवन निर्माण बाबत् सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे। इसके पश्चात किरायायुक्त भवनों में संचालित एवं अन्त में किराया रहित भवनों में संचालित विद्यालयों बाबत् भवन निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जावे।

कक्षा–कक्षों के निर्माण बाबत् एकल कक्षा–कक्ष वाले विद्यालयों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यो का चयन निम्न प्राथमिकता क्रम में किया जावे :–

| प्राथमिकता क्रमांक | विद्यालय का प्रकार | प्राथमिकता क्रमांक | विद्यालय का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 01 | आदर्श विद्यालय | 04 | 60 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय |
| 02 | उत्कृष्ठ विद्यालय | 05 | अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय |
| 03 | 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय | 06 | अन्य प्राथमिक विद्यालय |

15 से कम नामांकन वाले प्राथमिक एवं 30 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिषद् की अनुमति के पश्चात ही कार्य स्वीकृत किये जावे।

22/6/17

(बिन्द्रा सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)

My Computer E:/DTM

www.rajteachers.com